अत्यन्त महत्वपूर्ण

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ग़ाज़ियाबाद।

पत्रांकः C-45 /स0क0/छात्रवृत्ति/2021–22 दिनांकः 05 अप्रैल 2021

प्रधानाचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)
आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक/बी0एड0/महाविद्यालय/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/
मेडिकल एवं समस्त तकनीकी संस्थायें,
जनपद ग़ाज़ियाबाद।

विषयः दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये है जिन्हें समय–समय पर इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा आपको संसूचित किया जा चुका है।

1– शासनादेश संख्या 148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26.06.2018 के नियम 12(i) के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को संस्थाओं द्वारा निशुल्क प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था वर्ष 2018–19 से समाप्त की गई है। उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 312(1)/26–3–2013 दिनांक 03.04.2013 द्वारा नियमावली के अन्तर्गत छात्र व संस्था के मध्य परिशिष्ट (ख) में निर्धारित अनुबन्ध पत्र व डेबिट अथॉरिटी लेटर स्वतः समाप्त हो गये है।

2– अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/7टी.सी.–III दिनांक 26 जून 2018 के नियम–(xvii) उपनियम–(क) के नोट–2 के अनुसार "किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं का दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होंगी"।

3– सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के नियम–6(i)(अ) में सामान्य वर्ग तथा शासनादेश संख्या 4250/26–3–2019 दिनांक 10.10.2019 में उल्लिखित है कि वर्ष 2019–20 से अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु "निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठयक्रम जिनमें प्रवेश कक्षा–12 अर्थात इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंको के आधार पर होता है, में कक्षा–12 अर्थात इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र (मैनेजमेन्ट कोटा/स्पॉट सीट को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे"।

4– शासनादेश संख्या 222/2019/4138/26–3–2019–4(358)/07 टी.सी.–III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के नियम–6(xxii) के अनुसार निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठयक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठयक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रकिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रकिया को छोडकर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

शासनादेश संख्या 222/2019/4138/26–3–2019–4(358)/07 टी.सी.–III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के नियम–6(xxi)(क) के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council and Autonomous Institution of the Univerasity Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरान्त B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गई है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठयक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गई है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में आपके स्तर से उक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों के सापेक्ष अधोहस्ताक्षरी के पोर्टल पर प्राप्त डाटा के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आप द्वारा उक्त नियमों की अनदेखी करते हुये आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हैं। यद्यपि इस प्रकार के आवेदन पत्र इस स्तर से अग्रसारण से रोक दिये गये है फिर भी यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त नियमों से आच्छादित आवेदन पत्रों के अतिरिक्त छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान होना ज्ञात हुआ है।

इस सम्बन्ध में आपको सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अग्रसारित छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का पुनः अपने स्तर से परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी अपात्र छात्र का आवेदन पत्र आपके स्तर से अग्रसारित नहीं किया गया है। यदि भूलवश किसी छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित हो गया है एवं छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ है तो तत्काल उस छात्र का बैंक खाता फ्रीज कराते हुये धनराशि प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि जाँच में किसी अपात्र छात्र के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान की पुष्टि पायी जाती है तो सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(रजनीश कुमार पाण्डेय)
ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
गाज़ियाबाद।

पृष्ठांकन संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद।
3– उपनिदेशक, स0क0, मेरठ मण्डल, मेरठ।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
गाज़ियाबाद।